रफीक अहमद बनाम सकीना बानो कु.न. 73/23

क	आज्ञा पत्र	
·24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 14.5.24 को पेश हो।	
14.5.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट. स्वीकार की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 73 / 2023

1 रफीक अहमद आयु 45 साल पुत्र आलम खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 रूबीना बानो पुत्री दाऊद खां स्त्री सकील अहमद जाति कायमखानी मुसलमान निवासी किरडोली तहसील व जिला सीकर राज.।
2 दाऊद अली पुत्र आलम खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।
3 रहीशा बानो तलाकशुदा स्त्री दाऊद अली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
4 बेबी बानो पुत्री दाऊद अली स्त्री रोशन जाति कायमखानी मुसलमान निवासी रोशन ए 177 भट्टा बस्ती वार्ड नं. 65 शास्त्री नगर जयपुर राज. पिन नं. 302016
5 हसन अली पुत्र दाऊद अली जाति मुसलमान निवासी बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर।
6 नफीस अहमद पुत्र आलम खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
7 अयूब पुत्र अस्त अली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
8 इकबाल पुत्र अस्त अली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
9 जीवण खां पुत्र फैजुखां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर हाल आबाद जयपुर।
10 युनुस पुत्र अस्तअली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
11 रहमत बानू पत्नी अस्तअली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

12 शेरबानू पुत्री अस्तअली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

13 सबीर पुत्र अस्तअली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

14 हसन बानू पुत्री अस्तअली जाति कायमखानी मुसलमान निवासी बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

15 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

16 पटवारी पटवार हल्का बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

17 उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.।

18 तहसीलदार महोदय लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज.। बहैसियत भू–धारक राजस्थान सरकार।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
लक्ष्मणगढ़ दिनांक 25.08.2023 बसिलसिले मुकदमा उनवानी
रूबीना बनाम दाऊद अली आदि मु.नं. 124/2023
अपील अ. धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री महेन्द्र सिंह सुण्डा, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री भागीरथमल जाखड़, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 14/5/26

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 124/2023 में पारित निर्णय दिनांक 25.08.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 1233/249, 1234/249, 1259/637, 260/637, 572, 639/1, 868/3, 249/2, 637/3 वाके ग्राम बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से उभयपक्षों को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दाऊद अली व आलम अली की स्त्री व पुत्रियों ने विवादग्रस्त आराजियात में अपना संपूर्ण हक हिस्सा अधिकार अपीलान्ट के हक में जरिये रजिस्टर्ड हक त्याग दिनांक 15.02.012 को कार्यालय उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ में पंजीबद्व करवा दिया रेस्पोडेनट संख्या 1 के पिता द्वारा अपना सूंपर्ण हिस्सा हक त्याग किये जाने के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का विवादग्रस्त आराजियात से किसी प्रकार का कोई वास्ता नहीं है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 अपनी शादी के बाद ग्राम किरडोली में अपने ससुराल में आवास निवास करती है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के पिता ने दिनांक 15.02.2012 को ही संपूर्ण विवादग्रस्त आराजियात अपीलान्ट के हक में हक त्याग कर दी। वादिया/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 रूबीना की माता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 रहीसा बानो को उसके पति रेस्पोडेन्ट संख्या 2 दाऊद अली ने दिनांक 27.03.1998 को तलाक दे दिया था व तलाक दिये जाने के बाद रेस्पोडेनट संख्या 1 का रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व उसकी सम्पत्ति से किसी प्रकारका कोई वास्ता नहीं रहा फिर भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त तथ्यों को छुपाकर समस्त तथ्य गलत व मनगढ़त अंकित करके विचारण न्यायालय में दावा व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 ने न्यायालय अति. मुख्य न्यायिक मजि. फतेहपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

शेखावाटी जिला सीकर में एक मुकदमा उनवानी रईशा बानू आदि बनाम दाऊद मु.नं. 185/2002 अ. धारा 125 जाब्ता फौजदारी प्रस्तुत किया है जिसमें रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया था कि रेस्पोडेनट संख्या 2 व 3 का दिनांक 27.03.1998 को तलाक हो चुका है तलाक के बाद रेस्पोडेन्ट संख्या 3 अपने पिता के घर ग्राम बेसवा तहसील फतेहपुर में रह रही है व विवादग्रस्त आराजियात पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 3 का कभी भी कब्जा काश्त नहीं रहा व न उक्त भूमियों के संबंध में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 कोई खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने की अधिकारिणी है। विवादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 1233/249 रकबा 0.080 है., खसरा नम्बर 1234/249 रकबा 0.8500है., खसरा नम्बर 1259/637 रकबा 0.7000 है., खसरा नम्बर 1260/637 रकबा 0.0600 है. खसरा नम्बर 572 रकबा 1.1400 है., खसरा नम्बर 639/1 रकबा 0.3400 है., खसरा नम्बर 868/3 रकबा 0.0200 है., खसरा नम्बर 249/2 रकबा 0.0100 है., खसरा नम्बर 637/3 रकबा 0.0200 है. कुल किता 9 कुल रकबा 3.2 है. तन ग्राम बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राज. की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 प्रार्थीनी न तो रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है व न उक्त आराजियात के किसी भी हिस्से पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की माता रेस्पोडेन्ट संख्या 3 का कोई कब्जा काश्त है। अपीलांट के हक में रेस्पोडेनट संख्या 1 के पिता दाऊद अली व आलम अली के वारिसान ने दिनांक 15. 02.2012 को हक त्याग विलेख निष्पादित करके उप पंजीयक लक्ष्मणगढ़ के यहां तस्दीक करवा दिया जो दिनांक 15.02.2012 को पुश्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 314 पृष्ट संख्या 88 कम संख्या 688 पर पंजीबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त पुश्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 529 के पृष्ठ संख्या 85-87 पर चशपा किया गया उस हक त्याग विलेख के आधार पर अपीलान्ट के हक में विवादग्रस्त आराजियात की खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज हो चुकी है अपीलान्ट विवादग्रस्त आराजियात का रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है कानूनन रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं किये जाने योग्य होते हुए भी विचारण न्यायालय ने अपनी आज्ञा जैर अपील विरूद्ध कानून पारित की है जो निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है। अपील स्वीकार की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2023(2) पेज 919, आरआरडी 1989 पेज 224, आरआरटी 2023(2) पेज 914 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 1233/249, 1234/249, 1259/637, 260/637, 572, 639/1, 868/3, 249/2, 637/3 वाके ग्राम बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से उभयपक्षों को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया। विचारण न्यायालय ने आवेदक रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 212 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई धारा 212 के आवेदन में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना शेष है। इससे पूर्व इस स्तर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपील खारिज की जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डीएनजे 2023(1) पेज 532 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीया रेस्पोडेन्ट 1 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 1233/249, 1234/249, 1259/637, 260/637, 572, 639/1, 868/3, 249/2, 637/3 वाके ग्राम बलारां तहसील लक्ष्मणगढ़ का पेश किया। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से उभयपक्षों को अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया।

विचारण न्यायालय ने आवेदक रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 212 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया गया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलान्ट का जवाब प्राप्त कर बाद सुनवाई धारा 212 के आवेदन में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु का निर्धारण कर गुणावगुण पर निर्णय किया जाना शेष है। इससे पूर्व इस स्तर पर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उनके समक्ष लंबित धारा 212 के आवेदन का आगामी दो माह में अंतिम रूप से निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 14/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर